

- अनुमति की शर्तें ।**
- (1) जल संचय/सूक्ष्म जल निर्माण की स्वीकृति प्राप्तित निगम से की जा सकती है ।
 - (2) निगम की सहायक एवं प्रमुख तकनीक, राजकीय व्यक्तित्व या अन्य स्रोत की किल्ला में निर्माण को नहीं अनुमति दी जायेगी ।
 - (3) जल संचय/सूक्ष्म जल निर्माण के लिए अनुमति दी जायेगी ।
 - (4) स्वीकृत जल की विशेष निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निस्सत की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम जोधपुर

आवेदन क्रमांक 862 दिनांक 22/01/2024

प्राप्ति आवासीय जोड़ 3/0 श्री रामनारायण

के राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (2) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 1384/- प्रमा

जसिये रशीद संख्या 9063/403-404

दिनांक 29/11/2024 को जमा करा दी है ।

P.No: 23/B.F.S/C-पोषाखी हाउसिंग बोर्ड

जी.आवासीय

9/1/2024

सहायक नगर निर्माणक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

25/11/2024